भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 305

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक) को दिया गया)

सीएसआर निधियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन

***305. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रोत्साहन तंत्र मौजूद है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो लाभ कमाने वाली कंपनियों को स्वेच्छा से सीएसआर मानदंडों के अनुसार सीएसआर कार्यकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'सीएसआर निधियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन' के संबंध में दिनांक 08 अगस्त, 2022 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *305 (5वीं स्थिति) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): ऐसा कोई विशिष्ट प्रोत्साहन तंत्र प्रवृत्त नहीं है जिससे कि कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत एक विनियामक अपेक्षा है। तथापि, मंत्रालय ने इस अधिनियम के सीएसआर उपबंधों को संशोधित किया है ताकि अव्ययित सीएसआर राशि को अगले वर्षों के लिए अग्रेषित करने और सीएसआर परियोजनाओं की अपेक्षाओं के अनुसार तीन उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों तक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त सीएसआर व्यय की राशि को समायोजित करने हेतु कंपनी बोर्ड को छूट प्रदान की जा सके।

साथ ही, सीएसआर की उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-2015) की सिफारिश के आधार पर, मंत्रालय ने कंपनियों को सीएसआर पहलों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सीएसआर अवार्ड प्रदान करने की योजना प्रारंभ की है। कंपनियों को ये अवार्ड (विजेताओं तथा सम्मानीय उल्लेख) निम्नलिखित तीन व्यापक श्रेणियों के लिए प्रदान किए जाते हैं:

(i) सीएसआर में उत्कृष्टता हेतु कारपोरेट अवार्ड - किसी कंपनी को कुल पात्र सीएसआर व्यय के आधार पर सम्मान प्रदान करना (चार अवार्ड तक)।

(ii) चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों में सीएसआर में कारपोरेट अवार्ड - किसी कंपनी को चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों, आकांक्षी जिलों, दुर्गम प्रदेशों/अशांत क्षेत्रों तथा अन्य के संदर्भ में उसके सीएसआर प्रयासों के आधार पर सम्मान प्रदान करना। देश के प्रत्येक क्षेत्र अर्थात उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम के लिए एक-एक अवार्ड (5 अवार्ड तक)।

(iii) शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, इत्यादि जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रदान किए गए योगदान के आधार पर कारपोरेट अवार्ड (11 अवार्ड तक)।

प्रत्येक श्रेणी के तहत एक अवार्ड, सिर्फ सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए उद्दिष्ट किया गया है।

प्रथम राष्ट्रीय सीएसआर अवार्ड समारोह 29 अक्तूबर, 2019 को आयोजित किया गया था जिसमें 19 कंपनियों को 'विजेताओं' तथा 19 कंपनियों को 'सम्मानीय उल्लेख' के रूप में अवार्ड प्रदान किए गए थे।

इसके अलावा, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-22 तथा तत्पश्चात समेकित समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का प्रावधान है कि सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसई) का सकल स्कोर सीपीएसई द्वारा किए गए सीएसआर व्यय के संबंध में समय-समय पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन के अध्यधीन होगा और इसका अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में सकल स्कोर से दो अंक काट लिए जाएंगे।

*****